

फॉर्म ए2

आयात के अलावा अन्य प्रकार के भुगतान तथा मध्यवर्ती व्यापारी के लए नि ध प्रेषण
वदेशी नि ध प्रेषण के लए आवेदन पत्र

मैं/हम यूको बैंक शाखा से नीचे दिए गए ववरण के अनुसार वदेशी नि ध प्रेषण के लए अनुरोध कर रहे हैं। मैं/हम उसके समतुल्य रा श रुपये में अपने निम्नांकित चेक नंबर के रूप में संलग्न कर रहे हैं और लागू बैंक प्रभार एवं कर मेरे/हमारे खाते से नामे करने के लए बैंक को अधकृत कर रहे हैं।

वदेशी मुद्रा		वनिमय दर (लागू दर के लए बैंक से संपर्क करें)		समतुल्य रा श रुपये में	
रा श					

आवेदक का ववरण

नाम :

पता :

.....

खाता क्रमांक : पै नंबर / फॉर्म 60(*)

पासपोर्ट ववरण (**) क्रमांक देश जारी दिनांक

समाप्ति की तारीख :

निवास की स्थिति (कृपया सही वकल्प पर निशान लगाएँ)

निवासी भारतीय - व्यक्ति		निवासी भारतीय - व्यक्ति नहीं		वदेशी मूल (पीआईओ/ओसीआई को छोड़कर)	
-------------------------	--	------------------------------	--	-----------------------------------	--

(*सभी एलआरएस लेनदेन के लए पै नंबर अनिवार्य है। इसे खाते में अद्यतन कया जाना चाहिए)

(* गैर एलआरएस लेनदेन के लए, जहाँ पै नंबर उपलब्ध नहीं है, फॉर्म 60 अनिवार्य है यदि रा श 2 लाख से अधिक है)
(निवासी भारतीयों हेतु यात्रा से संबंधित उद्देश्यों के लए तथा अन्य व्यक्तियों हेतु सभी उद्देश्यों के लए पासपोर्ट ववरण अनिवार्य है)

क) एक ड्राफ्ट जारी करें : लाभार्थी का नाम :

पता :

ख) वदेशी वनिमय नि ध प्रेषण सीधे जमा करें

1. लाभार्थी का नाम

2. बैंक का नाम एवं पता

3. खाता क्र.

ग) इस रा श का यात्री चेक जारी करें

घ) इस रा श के वदेशी मुद्रा नोट जारी करें

रा श (मुद्रा बताएँ)

(जो लागू न हो उसे काट दें) नीचे दिए गए उद्देश्यों के लए

बाह्य निधि प्रेषण के लए					
लाभार्थी का नाम		खाता क्र./IBAN क्र.			
लाभार्थी का पता		किस देश में निवास है			
लाभार्थी का बैंक एवं शाखा		लाभार्थी बैंक का स्विफ्ट कोड			
मध्यस्थ बैंक एवं शाखा		विदेशी बैंक प्रभार किसके द्वारा वहन किए जाएँगे	लाभार्थी	OUR	SHA
मध्यस्थ बैंक का स्विफ्ट कोड		लाभार्थी को अतिरिक्त सूचना, सूचना, यदि कोई हो			
यदि निधि प्रेषण एलआरएस के तहत किया गया है तभी निवासियों द्वारा भरा जाए					
क्या एलआरएस* के तहत है? हाँ या ना		उद्देश्य कोड@	उद्देश्य का विवरण		
* एलआरएस (उदारीकृत निधि प्रेषण योजना) की अनुमति केवल निवासी व्यक्तियों के लिए ही है। @ उद्देश्य कोड के लिए पीछे देखें।					
यदि सेवाओं के आयात के लिए भुगतान किया जा रहा है (उद्देश्य कोड क्र. 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 16 एवं 17), तो संकेत दें :					
अंतिम रूप से सेवाएँ प्रदान करने वाले देश का नाम :					
निधि प्रेषक को इच्छित कोड के सामने सही का निशान लगाना चाहिए। कोई संदेह या कठिनाई हो तो एडी बैंक से संपर्क करना चाहिए।					

विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमाए 1999)* के तहत घोषणा

1. मैं, (नाम), एतद्वारा यह घोषणा करता/ती हूँ कि इस आवेदन सहित इस वित्तीय वर्ष के दौरान भारत भारत के सभी स्रोतों से क्रय की गई या के द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा की पूरी राशि वर्तमान फेमा नियमों के अनुसार है और और प्रमाणित करता/ती हूँ कि उक्त निधि प्रेषण की राशि मेरी है और इस विदेशी विनिमय का प्रतिबंधित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा / आपसे क्रय की गई विदेशी मुद्रा का उपयोग ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा।
वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) में उदारीकृत निधि प्रेषण योजना के तहत किए गए निधि प्रेषण / लेनदेन का विवरण

क्र.	दिनांक	रा श	एडी शाखा / एफएफएमसी का नाम एवं पता जिसके माध्यम से लेनदेन किया गया है

2. निकट संबंधियों के निर्वाह हेतु निधि प्रेषण - (लागू न हो तो काट दें)

मैं पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आदाता / लाभार्थी मेरे निकट संबंधी हैं और वे भारत में नहीं रहते हैं। (कृपया नीचे दिए गए सही रिश्ते के विकल्पों पर सही का निशान लगाएँ।

जीवनसाथी	पिता (सौतेले पिता सहित)	भाई (सौतेले भाई सहित)	पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)	बहू
अपने हिंदू अविभक्त परिवार के सदस्य	माता (सौतेली माता सहित)	बहन (सौतेली बहन सहित)	पुत्री	दामाद

(संबंधियों की यह सूची कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार है)

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)

दिनांक :

अधिकृत वक्रेता का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह निधि प्रेषण अयोग्य संस्थाओं द्वारा/को नहीं किया जा रहा है और यह निधि प्रेषण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस योजना के तहत समय-समय पर जारी निदेशों का पालन करते हुए किया जा रहा है।

अधिकृत अधिकारी के नाम एवं हस्ताक्षर : सील एवं मुहर

हस्ताक्षर :

दिनांक :